–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 3/2015

उनवान

1. पांचू पत्नी रामदेव जाति गुर्जर निवासी ग्राम साम्प्रोदा, नसीराबाद
—— वादीगण :–जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. रामदेव पुत्र हमीरा,
2. भूली पत्नी सादूल,
3. काली पत्नी कैलाश,
4. सांवरिया पुत्र नन्दा,
5. सायरी पुत्री नन्दा,
6. मानी पत्नी मेन्दू,
7. सेजी पत्नी छोटू,
8. कालूराम,
9. हेमराज पि. छोटू,
10. बदामी पत्नी नारायण,
11. मंगला,
12. गोपाल पि. बिरदा,
13. सत्तू पुत्र बन्ना,
14. रमती पत्नी बन्ना,
15. गंगा पत्नी रायमल,
16. बदरी पुत्र रायमल,
17. सुगनी पत्नी गंभीरा,
18. नाथू
19. संग्राम,
20. भागचन्द पि. गंभीरा,
21. हंगामी पत्नी हरजी,
22. सुवा पुत्री हरजी, जाति गुर्जर नि. ग्राम साम्प्रोदा, नसीराबाद
23. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी
23 जरियें राज. पैरोकार

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:: [illegible] :: दिनांक :– 11.9.15

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:37:05 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद [illegible] कि ग्राम साम्प्रोदा के खाता संख्या 279/275 किता 7 रकबा 3.20, 280/276 [illegible] किता 11 रकबा 2.22, 574/557 किता 21 रकबा 8.54, 284/279 किता 3 रकबा 0.87, 278/274 किता 2 रकबा 0[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

333/324 किता 3 रकबा 0.10, खसरा नम्बर 2527 रकबा 0.62, 2519/3572 रकबा 0.16 की आराजी वादी व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी व सह काश्तकारी की है। उक्त आराजी में अलग–अलग खाते में वादी का अलग–अलग हिस्सा निहित है। आराजी मुतनाजा अविभाजित हैं प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा का विभाजन नही कराना चाहते है। तथा आराजी मुतनाजा पर वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है। आराजी मुतनाजा को अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगणने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा का विभाजन पूर्व में हो गया हैं। वादी द्वारा प्रतिवादीगण की भूमि हडपने के लिये उक्त वाद पेश किया है। वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है। अतः वाद खारिज योग्य है।

प्रकरण में निम्न तनकी कायम की गयी :–

1. आया वादग्रस्त आराजी पर वादी विभाजन प्राप्ति का अधिकारी है ?

–– वादी

2. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये। वादी ने प्रकरण में साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण को समुचित अवसर देने के उपरान्त भी साक्ष्य पेश नही करने के कारण साक्ष्य बंद की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 :–

ग्राम साम्प्रोदा के खाता संख्या 279/275 किता 7 रकबा 3.20, 280/276 किता 11 रकबा 2.22, 574/557 किता 21 रकबा 8.54, 284/279 किता 3 रकबा 0.87, 278/274 किता 2 रकबा 0.33, 333/324 किता 3 रकबा 0.10, खसरा नम्बर 2527 रकबा 0.62, 2519/3572 रकबा 0.16 की आराजी वादी व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी व सह काश्तकारी की है। उक्त आराजी में अलग–अलग खाते में वादी का अलग–अलग हिस्सा निहित है। आराजी मुतनाजा अविभाजित हैं। वादीआराजी मुतनाजा का विभाजन कराना चाहता है। प्रतिवादीगण ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा का विभाजन पूर्व में हो गया हैं। वादी द्वारा प्रतिवादीगण की भूमि हडपने के लिये उक्त वाद पेश किया है। वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है। किन्तु राजस्व अभिलेख में भूमि अविभाजित ही दर्ज है। भूमि के पूर्व में विभाजन बाबत कोई साक्ष्य व दसतावेज प्रतिवादीगण द्वारा पेश नही किये गये है। आराजी मुतनाजा के विभाजन से वादी का राजस्व अभिलेख में दर्ज हिस्सा अलग होगा। प्रतिवादीगण के हिस्से की आराजी वादी के नाम दर्ज नही होनी है। वादी द्वारा अपने वाद में वाद कारण अंकित किया है। भूमि के विभाजन से प्रतिवादीगण के हिस्सों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। आराजी मुतनाजा पर कुछ सह खातेदार की [illegible] गयी है। वादी द्वारा उनके वारिसान को प्रकरण में पक्षकार मुर्तिब किया है। [illegible] राज. पैरोकार ने वाद का खण्डन नही किया है। प्रति[illegible] अपनी आपति प्रस्तुत कर सकते है। वादी विभाजन प्राप्ति का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:37:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (अजमेर)

उक्तानुसार ग्राम साम्प्रोदा के खाता संख्या 279/275 किता 7 रकबा 3.20, 280/276 किता 11 रकबा 2.22, 574/557 किता 21 रकबा 8.54, 284/279 किता 3 रकबा 0.87, 278/274 किता 2 रकबा 0.33, 333/324 किता 3 रकबा 0.10, खसरा नम्बर 2527 रकबा 0.62, 2519/3572 रकबा 0.16 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीटसं एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:37:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

पांचू बनाम रामदेव

दावा बाबत :— 53, 88, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर —3/2015
पेश करने की दिनांक —02.02.2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई सुखदेव चौधरी व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

ग्राम साम्प्रोदा के खाता संख्या 279/275 किता 7 रकबा 3.20, 280/276 किता 11 रकबा 2.22, 574/557 किता 21 रकबा 8.54, 284/279 किता 3 रकबा 0.87, 278/274 किता 2 रकबा 0.33, 333/324 किता 3 रकबा 0.10, खसरा नम्बर 2527 रकबा 0.62, 2519/3572 रकबा 0.16 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीटसं एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 11 माह 9 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:37:05 IST
Reason: SelfAttested